

सरकारी नीतियां ईवी को दे रही ईंधन

प्रदूषण बढ़ने की चिंता को देखते हुए और ड्राइविंग आसान होने के कारण देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल एक जरूरत बन गया है।

इन दिनों चारों ओर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जाती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए सरकार ईवी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सकारात्मक सरकारी नीतियां भी सामने लाई जा रही हैं। भारत में इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन सड़कों पर इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगभग 28,30,565 थी। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश में ईवी की वार्षिक बिक्री एक करोड़ यूनिट को पार कर सकती है।

ईवी के अनुकूल सरकार की नीतियां

सरकार सब्सिडी, कर लाभ और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से ईवी अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, ईवी को अपनाने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि 2070 तक भारत के जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में सुचारू विकास को सुविधाजनक बनाने और 2030 तक 30 प्रतिशत निजी कारों, 70 प्रतिशत वाणिज्यिक कारों, 40 प्रतिशत बसों और 80 प्रतिशत दो और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में ईवी की पैठ बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है।

एफएएमई भारत योजना की शुरुआत

ऑटो विशेषज्ञ राहुल किशोर के अनुसार, भारत में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और व्हीकल से होने वाले एमिशन को कम करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और उनकी मैनूफैक्चरिंग की योजना (एफएएमई भारत) वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। योजना के दूसरे चरण को 1 अप्रैल, 2019 से लागू किया गया। इससे देश में ईवी की मांग पैदा करने की कोशिश की गई है। ऑटोमोटिव क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना 25,938 करोड़ रुपये के बजट के साथ सितंबर 2021 में शुरू की गई।

“यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आउटले के साथ लागू किया गया। कुल बजट में से लगभग 86 प्रतिशत निधि 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55000 ई-4 व्हीलर पैसेंजर कारों (हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-2 व्हीलर पर आवंटित की गई।”

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उपाय

केंद्रीय बजट 2023-24 ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क छूट बढ़ा दी है। साथ ही जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ईवी परमिट साइट प्लान पर ईवी चार्जर का स्थान दिखाता है। कमर्शियल और प्राइवेट दोनों प्रकार के बैटरी से चलने वाले व्हीकल को सरकार ने ग्रीन लाइसेंस प्लेट दी है। उन्हें परमिट रिकवायरमेंट से छूट दी गई है।

रोड टैक्स में छूट

ईवी पर रोड टैक्स में भी छूट दी गई है, जो बदले में ईवी की शुरुआती लागत को कम करने में मदद करती है। देश भर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और मजबूती देने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने संशोधित और समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में निजी खिलाड़ियों को ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शामिल किया गया है। इस दिशा में तेल विपणन कंपनियों ने देश भर के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है।